रैग्यूलर फौजदारी प्रकरण संख्या :–459 / 2000
राजस्थान राज्य बनाम बाबूलाल वगैरह
अपराध धारा– 379 भा0दं0सं0
निर्णय दिनांकः 13.05.2022

न्यायालय–न्यायिक मजिस्ट्रेट किशनगंज, जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रचना वैष्णव, आर.जे.एस.

रैग्यूलर फौजदारी प्रकरण संख्या :– 459 / 2000
सी.आई.एस. नंबर – 785 / 2014

राजस्थान राज्य

––––––अभियोजन

बनाम

1– बाबूलाल पुत्र घासीलाल उम्र 45 साल जाति सहरिया निवासी पीपलोद पुलिस थाना अटरू, जिला बारां राज0 **(निर्णय दिनांक 28.06.2017)**
2– बाबूलाल पुत्र ग्यारसीराम उम्र 45 साल जाति सहरिया निवासी पीपलोद पुलिस थाना अटरू, जिला बारां राज0 **(निर्णय दिनांक 28.06.2017)**
3– देवकरण पुत्र रामप्रसाद आयु 70 सालजाति जागा निवासी खेडा बमोरी पुलिस थाना आयाना, जिला कोटा राज0 **(निर्णय दिनांक 28.06.2017)**
4– रामलाल पुत्र ग्यारसीराम उम्र 45 साल जाति सहरिया निवासी जलवाडा पुलिस थाना नाहरगढ़, जिला बारां राज0 **(निर्णय दिनांक 28.06.2017)**
5– दुर्गाशंकर पुत्र धूलीलाल उम्र 53 साल जाति जागा निवासी माथनी, सदर बारां राज0 **(निर्णय दिनांक 28.06.2017)**
6– मथुरालाल पुत्र लटूरलाल उम्र 60 साल जाति सहरिया निवासी जलवाड़ा थाना नाहरगढ़ जिला बारां राज0 **(निर्णय दिनांक 28.06.2017)**
7– रामभरोस पुत्र देवीलाल उम्र 58 साल जाति बैरवा निवासी पीपलोद पुलिस थाना अटरू, जिला बारां राज0 **(निर्णय दिनांक 28.06.2017)**
8– पंखीलाल पुत्र जयलाल जाति मीणा उम्र 50 साल निवासी आगेडी थाना सदर जिला करौली राज0 **(निर्णय दिनांक 28.06.2017)**
9–हेमराज पुत्र देवीलाल जाति बैरवा निवासी पीपलोद पुलिस थाना अटरू, जिला बारां राज0 **(फौत कार्यवाही ड्रॉप दिनांक – 07.07.08)**
10– भंवरलाल पुत्र रामलाल जाति सहरिया निवासी पीपलोद पुलिस थाना अटरू, जिला बारां राज0 **(फौत कार्यवाही ड्रॉप दिनांक – 03.05.10)**
11–गेन्दीलाल पुत्र कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी पाटनखेडा पुलिस थाना इकलेरा, जिला झालावाड़ राज0 **(निर्णय दिनांक 21.12.2018)**
12– भरोसीलाल पुत्र लोलक्याराम जाति जागा निवासी खण्डीप पुलिस थाना वजीरपुर, जिला बारां राज0 **(मफरूर दिनांक 07.07.08)**
13– बत्तीलाल पुत्र जोहरीलाल आयु 60 साल जाति मीणा निवासी खण्डीप पुलिस थाना वजीरपुर, जिला सवाईमाधोपुर राज0

.....अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत धारा– 379 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थित :–

01– सहायक अभियोजन अधिकारी, वास्ते अभियोजन।
02– श्री पुष्पेन्द्र सिंह एवं श्री श्याम पालीवाल विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्त बत्तीलाल की ओर से।

–: निर्णय :– दिनांकः 13.05.2022

प्रकरण में सहअभियुक्तगण भरोसीलाल को न्यायालय द्वारा मफरूर घोषित किया जा चुका है। अभियुक्तगण बाबूलाल, बाबूलाल पुत्र ग्यारसीराम, देवकरण, रामलाल, दुर्गाशंकर, मथुरालाल, रामभरोस, पंखीलाल का निर्णय पूर्व में दिनांक 28.06.2017 को तथा अभियुक्त गेंदीलाल का निर्णय दिनांक 21.12.2018 को हो चुका है। अभियुक्तगण हेमराज एवं भंवरलाल की मृत्यु होने से पूर्व में कार्यवाही ड्रॉप हो चुकी है। अतः अब अभियुक्त बत्तीलाल की हद तक निर्णय किया जा रहा है।

(रचना वैष्णव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
किशनगंज जिला बारां(राज0)

1. अभियोजन कहानी अनुसार हस्तगत प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 25.05.2020 को शिवनारायण द्वारा एक तहरीरी रिपोर्ट उप0 थाना होकर इस आशय की पेश की गई कि उनके गांव के पास गीगची रास्ता के एक खण्डहर देवनारायण का मंदिर है, जिसकी दक्षिण दिशा में दीवार के सहारे चार मूर्तियां रखी थी जिन्हें नामालुम कौन बदमाश चुरा कर ले गया। एक महीना पहले देवनारायण जी की पूजा करने गया था तब मूर्तियां रखी थी। उनमें से दो कृष्ण भगवान की, एक शंकर पार्वती की तथा एक किसकी है, उसे ध्यान नहीं.....इत्यादि। उक्त तहरीरी रिपोर्ट पर पुलिस थाना नाहरगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 63 / 2000 धारा 379 भा0द0स0 में प्रकरण दर्ज कर बाद अनुसंधान नतीजा न्यायालय में पेश किया जहां अभियुक्त के विरूद्ध धारा 379 भा0द0स0 में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर नियमित फौजदारी किया गया।

2. अभियुक्त को धारा 379 भा0दं0स0 के अपराध का आरोप पृथक से लिखित में विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो आरोप सुन समझकर अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

3. अभियोजन की ओर से अपनी कहानी को सिद्ध करने हेतु गवाह पी.ड. 1 धन्नालाल, पी.ड. 2 रामभरोस, पी.ड. 3 सूरजमल, पी.ड. 4 रूपनारायण, पी.ड. 5 शिवनारायण, पी.ड. 6 नेक मोहम्मद, पी.ड. 7 कोमलप्रसाद, पी.ड. 8 किरतार अहमद, पी.ड. 9 बृजराज सिंह, पी.ड. 10 हीराचन्द, पी.ड. 11 सूरजसिंह, पी.ड. 12 गोपीचन्द, पी.ड. 13 शिवराज सिंह को गवाहों के रूप में परीक्षित कराया एवं दस्तावेज फर्द जप्ती प्रदर्श पी. 1, नक्शामौका प्रदर्श पी. 2, फर्द शिनाख्तगी मूर्ति प्रदर्श पी.3, रिपोर्ट प्रदर्श पी. 4, चाक एफआईआर प्रदर्श पी. 5, फर्द गिरफ्तारी मुलजिमान प्रदर्श पी. 5 लगायत 9, फर्द सूचना मुलजिमान प्रदर्श पी. 10 लगायत पी. 14, फर्द जप्ती प्रदर्श पी. 15, फर्द जप्ती थाना उद्योग नगर प्रदर्श पी.16, रोजनामचा रपट प्रदर्श पी. 17, फर्द गिरफ्तारी मुलजिम पंखीलाल प्रदर्श पी. 18, सूचना प्रदर्श पी. 19, नक्शामौका प्रदर्श पी. 20 को दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्शित करवाया।

4. अभियोजन की ओर से परीक्षित करवाये गये गवाहों की साक्ष्य से उत्पन्न हुयी परिस्थितियों के स्पष्टीकरण हेतु अभियुक्त की धारा 313 में परीक्षा की गयी जिसमें अपने विरूद्ध कथनों को गलत बताते हुये साक्ष्य सफाई पेश करना नहीं चाहा।

5. बहस अंतिम सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने निवेदन किया कि अभियोजन अपने मामले को साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किया जावे। ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु है –

क्या अभियुक्त दिनांक 25.05.2000 से एक माह पूर्व के बीच किसी समय जंगल गीगचा में स्थित देवनारायण के मंदिर में से देवी–देवताओं की मूर्तियों को बदनियतिपूर्वक चुराकर ले गया। ?

यदि हां तो अभियुक्त के अपराध के लिये क्या समुचित दण्ड होगा ?

6. उपरोक्त गवाहों की साक्ष्य का मूल्यांकन करें तो गवाह पी.ड. 1 धन्नालाल ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि आज से करीब 7–8 साल पहले पुलिस वाले गीगचा गीगची के पास बाबड़ी के पास आये थे, उसके हस्ताक्षर कराये थे। फर्द जप्ती प्रदर्श पी. 1 पर ए–बी उसके हस्ताक्षर हैं। जिरह का अवसर दिये जाने पर भी जिरह शून्य रखी गयी।

गवाह पी.ड. 2 रामभरोस ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि आज से करीब 7–8 साल पहले पुलिस गीगचा गीगची के बीच ढूंडा पर गई थी जो मूर्ति चोरी की बाबत् गई थी। नक्शामौका प्रदर्श पी. 2 बनाया था जिस पर ए–बी उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त गवाह ने अपनी जिरह में कथन किया है कि नक्शामौका प्रदर्श पी. 2 पर उसके हस्ताक्षर खाली कागज पर कराये थे उसके सामने लिखापढ़ी नहीं की।

गवाह पी.ड. 3 सूरजमल ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि आज से करीब 12–13 साल पहले पुलिस ने नक्शामौका प्रदर्श पी. 2 पर सी–डी उसके हस्ताक्षर कराये थे। मूर्ति चोरी बावत उसके हस्ताक्षर कराये थे। दौराने जिरह उक्त गवाह ने कथन किया कि

नक्शामौका प्रदर्श पी.2 पर हस्ताक्षर भरे कागज पर कराये थे उसमें क्या लिखा है, उसे पता नहीं है। लिखापढ़ी पहले से ही कर रखी थी।

गवाह पी.ड. 4 रूपनारायण ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि करीब 10–5 साल पहले उसके व मदनमोहन के सामने नाहरगढ़ थाने में 4–5 मूर्तियां जप्त की थी। फर्द शिनाख्तगी मूर्ति प्रदर्श पी. 3 है जिस पर ए–बी उसके हस्ताक्षर हैं। दौराने जिरह उक्त गवाह ने कथन किया कि पुलिस ने जप्ती बना कर रखी थी जिस पर उसके हस्ताक्षर कराये थे। मूर्ति कहां से लाये, उसे पता नहीं है। मूर्तियां कौन चुरा कर ले गया, यह भी उसे पता नहीं है।

गवाह पी.ड. 5 शिवनारायण ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि करीब 8–10 साल पुरानी बात है। इनके गांव के पास देवनारायण के मंदिर से मूर्तियां चारी हो गई थी जो 4–5 मूर्तियां थी। मूर्ति चोरी की रिपोर्ट इसने थाने में कराई थी। रिपोर्ट प्रदर्श पी.4 है, चाक एफ. आई.आर. प्रदर्शपी. 5 है, नक्शामौका प्रदर्श पी. 2 बनाया था, फर्द शिनाख्तगी प्रदर्श पी. 3 है, सभी पर इसके हस्ताक्षर हैं। दौराने जिरह उक्त गवाह ने कथन किया कि रिपोर्ट प्रदर्श पी. 4 उसने लिखकर थाने में पेश नहीं की, थाने वालों ने ही लिखी थी। प्रदर्श पी. 3 व पी. 4 में क्या लिखा है, उसे पता नहीं है। मूर्ति चोरी वाली बात उसे गांव वालों ने बतायी थी। नक्शामौका प्रदर्श पी. 2 पर उसके हस्ताक्षर थाने में कराये थे। उसमें क्या लिखा उसे पता नहीं है।

गवाह पी.ड. 6 नेक मोहम्मद ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि 25.05.2000 को वह थाना नाहरगढ़ में एएसआई के पद पर तैनात था। उस दिन उसे 63 / 2000 का अनुसंधान सुपुर्द हुआ था। दौराने अनुसंधान बयान गवाहान के लेखबद्ध किये थे। घटनास्थल पर पहुंच कर नक्शामौका प्रदर्श पी. 2 बनाया था। मुलजिमान से अनुसंधान किया था एवं हिरासत पुलिस लिया था। मुलजिमान की सूचना पर मूर्तियां कोटा एवं गीगचा ग्राम से बरामद की थी। फर्द गिरफ्तारी मुलजिमान प्रदर्श पी. 5 लगायत पी. 9 है। फर्द सूचना मुलजिमान प्रदर्श पी. 10 लगायत पी. 14 है। फर्द जप्ती मूर्तियां प्रदर्श पी. 15 एवं पी. 1 है। पी. 1 की पुश्त पर नक्शामौका बरामदगी स्थल अंकित है। फर्द जप्ती फोटोप्रति 102 सीआरपीसी कोटा प्राप्त कर शामिल पत्रावली की थी। फर्द शिनाख्तगी प्रदर्श पी. 3 है। उक्त सभी पर इसके हस्ताक्षर हैं। दौराने जिरह उक्त गवाह ने कथन किया है कि फरियादी के बयान थाने में लिये थे। मुलजिमों की गिरफ्तारी की सूचना जरिये वायरलैस दी गई थी तथा उसी के आधार पर पी.एस. अटरू पहुंच कर मुलजिमान से पूछताछ की थी और सब जेल छबड़ा से गिरफ्तार किया था। दो मूर्ति उद्योग नगर थाने के बाद कोटा जाकर फर्द जप्ती तैयार की थी। दो मूर्ति उद्योग नगर थाने में 102 सीआरपीसी में जप्त की गई थी। उद्योग नगर थाने वालों ने मूर्तियां मुलजिमान से जप्त की थी। कहां से जप्त की, यह उसे पता नहीं है। मुलजिमान की निशादेही से मूर्तियां बरामद की थी। मूर्तियों की परिवादी से शिनाख्तगी नहीं करवाई। मूर्तियां घटनास्थल के पीछे खाल में उल्टी छिपा कर रखी हुई थी। घटनास्थल से बरामदगी स्थल की दूरी अंदाजन एक फर्लांग थी। उद्योग नगर थाने वालों ने 102 सीआरपीसी में जप्त मूर्तियां कहां से बरसाद की थी, यह उसे पता नहीं है। क्योंकि फर्द 102 सीआरपीसी में गीगचा के जंगल में से मूर्तियां ले जाना बताया है। कोटा से जो मूर्तियां लेकर आये उनका वजन एक–एक क्विंटल से ऊपर होगा तथा खंडित थी। मूर्तियां थाने के मालखाने में जमा कराई थी। विष्णु पार्वती शिव भगवान की मूर्तियां थी।

गवाह पी.ड. 7 कोमलप्रसाद ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि 29.08. 2000 को वह ग्राम पंचायत नाहरगढ़ में सरपंच थी। उस रोज कानि0 अब्दुल सत्तार तीन मूर्तियां सील्डशुदा पैकेट में लेकर ग्राम पंचायत पर आया था। उसके समक्ष शिवनारायण, धन्नालाल, रूपनारायण द्वारा उक्त चारों मूर्तियों को खोलकर शिनाख्त कराई थी। फर्द शिनाख्तगी प्रदर्श पी. 3 इसके द्वारा मूर्तिब की गई थी जिस पर ई–एफ इसके हस्ताक्षर हैं। गवाह ने अपनी जिरह में कथन किया है कि मूर्तियों को पुलिस जीप में लेकर ग्राम पंचायत लेकर आई थी। इन चारों मूर्तियों में अन्य मूर्तियां नहीं मिलाई। यह मूर्तियां पुलिस कहां से लेकर आई, उसे पता नहीं है।

गवाह पी.ड. 8 किरतार अहमद ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि 15.06.2000 को वह थाना उद्योग नगर कोटा में नियुक्त था। उद्योग नगर थाना में धारा 102 सीआरपीसी के तहत दो मूर्तियां विष्णु भगवान की जप्त की थी जिन्हें पुलिस थाना नाहरगढ़ को इसके सामने सुपुर्दगी में दिया था। फर्द जप्ती व बरामदगी प्रदर्श पी. 15 है जिस पर सी–डी इसके हस्ताक्षर हैं। दौराने जिरह उक्त गवाह ने कथन किया है कि मूर्तियां पुलिस थाना उद्योग नगर के

इलाके में लावारिस अवस्था में मिली थी।

गवाह पी.ड. 9 बृजराज सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि 10.11.2000 को वह थाना नाहरगढ़ पर तैनात था। इसने मुलजिमान के विरूद्ध चालान न्यायालय में पेश किया था। गवाह ने अपनी जिरह में कथन किया है कि मुलजिमान से कोई माल बरामद हुआ हो तो उसे पता नहीं है। उसकी जानकारी में कोई बरामदगी नहीं हुई। सहमुलजिम की सूचना के आधार पर मुलजिम रामभरोस के विरूद्ध चार्जशीट पेश की थी।

गवाह पी.ड. 10 हीराचन्द ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 15.06.2000 को वह थाना नाहरगढ़ पर तैनात था। उस दिन माल मशरूका बरामदगी हेतु पुलिस थाना उद्योग नगर कोटा गए थे। वहां मूर्तियां जप्त की थी जिन्हें ये लेकर थाना नाहरगढ़ आए थे। फर्द जप्ती मूर्तियां प्रदर्श पी. 15 है जिस पर ई–एफ इसके हस्ताक्षर हैं। दौराने जिरह उक्त गवाह ने कथन किया कि प्राईवेट वाहन बस से उद्योग नगर थाना गये थे। वहां से वाहन किराये करके लाये थे। उधर से जीप लेकर आये। मूर्तियां पत्थर की थीं।

गवाह पी.ड. 11 सूरजसिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि 20.05.2000 को वह कोटा उद्योग नगर में एएसआई के पद पर तैनात था। भडकियाखाल में 8–10 व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में मिले। उनके कब्जे से 05 मूर्तियां भगवान की मिली थी। उक्त मूर्तियों व रुपयों को 102 सीआरपीसी में जप्त किया था। मूर्तियां व रूपये जमा मालखान किये थे। गैरसायलों को धारा 109 सीआरपीसी में गिरफ्तार किया था। उक्त गवाह ने अपनी जिरह में कथन किया कि वह मुलजिमानों को शक्ल से नहीं जानता। पांच मूर्तियां किस किस की थी, यह वह पत्रावली देखकर ही बता सकता है। दुर्गाशंकर व देवकरण से कौन सी मूर्तियां जप्त की थी, यह उसे पता नहीं है। मुलजिमान को धारा 109 सीआरपीसी में गिरफ्तार किया था, जिसकी फर्द गिरफ्तारी पत्रावली में नहीं है। कौन कौन से भगवान की कौन सी मूर्तियां थी यह उसे ध्यान नहीं है। भडकियाखाल कोटा में मुलजिमान मूर्तियों के पास बैठे थे व मौके से ही मूर्तियां जप्त की थी। कौन सी मूर्ति खण्डित थी व कौन सी सही, यह उसे पता नहीं है। यह उसे पता नहीं है कि मूर्तियां अलग अलग स्थानों से जप्त की हो। जहां से मूर्ति जप्त की वह खुला स्थान तथा जंगल था। दौराने गश्त घटनास्थल पर महेन्द्रसिंह, गोपीचन्द, बाबूलाल कानि0 आदि मिले थे। गवाह ने यह भी कहा है कि सूटकेस में उसे नकदी के अलावा कोई आपत्तिजनक दस्तावेज नहीं मिले। मूर्तियां जहां बरामद हुयी थीं वह खुला स्थान था । एक–एक मूर्तियां कितने वजन की तथा कौन से भगवान की तथा किसी मुलजिम के पास से मिलीं, यह वह नहीं बता सकता। प्रदर्श पी. 16 बनाते समय स्वतंत्र गवाह तलब नहीं किये।

गवाह पी.ड. 12 गोपीचन्द ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 20.05.2000 को वह थाना उद्योग नगर कोटा में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था। उस दिन गश्त करते हुये भडकियाखाल पहुंचे। वहां पर 8–10 आदमी बैठे मिले। जिन्हें पकड़ा। उनके पास प्राचीनकालीन पत्थर की मूर्तियां पांच देवी देवताओं की रखी पायी गयी। इनके पास सूटकेस में 57000/– मिले। उक्त मूर्तियों को 102 सीआरपीसी में जप्त किया था। उक्त सातों मुलजिमान को 109 सीआरपीसी में गिरफ्तार किया गया। रूपयों को लिफाफे में रखकर सील्ड मोहर किया गया। वापिस मय मूर्तियां व मुलजिम वापिस थाने आये। बरामदगी व गिरफ्तारी की सूचना कंट्रोल रूप के मार्फत पूरे राजस्थान में कराई गई। फर्द जप्ती थाना उद्योग नगर की सत्यप्रति प्रदर्श पी. 16 है जिसकी पुश्त पर इसके हस्ताक्षर हैं। राजनामचा रपट प्रदर्श पी. 17 है। दौराने जिरह उक्त गवाह ने कथन किया कि मूर्तियां खाल में से मुलजिमान के पास में से उठायी थी। किस किस मुलजिम से कौन कौन सी मूर्ति बरामद हुई थी, इसका उल्लेख फर्द जप्ती में नहीं है। मूर्तियां खाल से बरामद की थी जो खुला हुआ स्थान है।

गवाह पी.ड. 13 शिवराजसिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 26.06.14 को वह थाना नाहरगढ़ पर एएसआई के पद पर तैनात था। उस दिन एसएचओ साहब ने मुकदमा नं. 459/2000 की पत्रावली इसके सुपुर्द की थी। जिस पर इसके द्वारा गांव अगेडी जाकर मुलजिम पंखीलाल को गिरफ्तार किया था व मुलजिम द्वारा दफा 27 की सूचना दी। नक्शामौका तस्दीक घटनास्थल किया। फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी. 18, सूचना प्रदर्श पी. 19, नक्शामौका पी. 20 है, सभी पर ए–बी इसके हस्ताक्षर है। बाद अनुसंधान पत्रावली एसएचओ को पेश की। उक्त गवाह ने दौराने जिरह यह कथन किया कि अभियुक्त पंखीलाल से कोई बरामदगी नहीं हुई। मुलजिम की सूचना पर खाली स्थान चबूतरा पर आस पास कई मूर्तियां रखी हुई थी लेकिन मुलजिम ने यह नहीं बताया कि किस देवता की मूर्ति घटनास्थल से चोरी हुई थी।

(रचना वैष्णव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
किशनगंज जिला बारां(राज0)

7. अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये गवाहों की साक्ष्य का अभियुक्त पर आरोपित अपराध के संबंध में मूल्यांकन करें तो फरियादी पी.ड. 5 शिवनारायण ने एक प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की दर्ज कराई कि उसके गांव के पास देवनारायण के मंदिर के पास से चार मूर्तियां चोरी हो गई थी। इस गवाह के अनुसार रिपोर्ट उसके द्वारा नहीं लिखी गई थी। पुलिस वालों ने ही लिखी थी। मूर्ति चोरी होने की बात उसे गांव वालों ने बताई थी जबकि अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह गवाह कहता है कि जब वह घटना के एक महीना पहले मंदिर में पूजा करने गया तब मूर्तियां थी। लेकिन बाद में नहीं थी। जो मूर्तियां चोरी हुई उनमें दो कृष्ण भगवान तथा एक शंकर पार्वती की खण्डित तथा एक अन्य किसी की थी उसे पता नहीं है। इस गवाह के अनुसार धन्नालाल भगत बता सकता है किन्तु गवाह पी.ड. 1 धन्नालाल के अनुसार जब पुलिस वाले मूर्ति जप्त करने आये थे तब वहां कोई मूर्ति नहीं मिली थी। नक्शामौका के बयान रामभरोस तथा सूरजमल के अनुसार उनके हस्ताक्षर खाली कागज पर कराये थे। उसमें क्या लिखा है, उन्हें पता नहीं है। फरियादी द्वारा जिन मूर्तियों के चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी उनके संबंध में यदि अनुसंधान अधिकारी की साक्ष्य का अवलोकन करें तो उसके अनुसार प्रकरण में चोरी हुई मूर्ति धारा 102 सीआरपीसी में उद्योग नगर थाना में जप्त थी। दो मूर्तियों की जप्ती थाने में तथा दो की गीगचा जंगल पर बनाई थी। इस गवाह के अनुसार जो मूर्तियां उसने उद्योग नगर थाने से बरामद की थी उनकी जप्ती कहां से हुई थी, यह उसे पता नहीं है। शेष मूर्तियों के संबंध गवाह कहता है कि गीगचा जंगल में घटनास्थल के पीछे मूर्तियां छिपाकर रखी हुई थी तथा घटनास्थल से बदामदगी स्थल की दूरी अंदाजन एक फर्लांग थी। इस गवाह ने ऐसी साक्ष्य नहीं दी है कि जो मूर्तियां उद्योग नगर थाने से बरामद हुई, वह किस देवी देवता की थी तथा जो घटनास्थल से बरामद हुई वह किसकी थी। मूर्तियों के वजन के बारे में गवाह का कहना है कि वह एक–एक क्विंटल से ऊपर थी। ऐसी स्थिति में उक्त मूर्तियां घटनास्थल से उद्योग नगर थाने क्षेत्र में कैसे पहुंची, इसके बारे में कोई अनुसंधान नहीं किया गया है। गवाह यह कहता है कि सभी मूर्तियां खण्डित थी किन्तु बाद में यह भी जाहिर करता है कि उनमें विष्णु पार्वती व शिव भगवान की मूर्तियां थी। खंडित मूर्तियों की गवाह द्वारा किस प्रकार से पहचान की गई यह भी स्पष्ट नहीं है। प्रकरण में जप्त की जाने वाली मूर्तियों को सरपंच ग्राम नाहरगढ़ कोमल प्रसाद से शिनाख्त कराई गई जो कि पत्रावली में गवाह पी.ड. 7 के रूप में परीक्षित हुआ है। जिसने बयान दिये हैं कि उसके सामने चारों मूर्तियों को खोलकर शिनाख्त कराई थी। जिससे यह जाहिर है कि जो मूर्तियां घटना में चोरी होना बताया जा रहा है केवल मात्र उन्हीं चारों की शिनाख्त कराई गई, किन्ही अन्य मूर्तियों का मिलान इन मूर्तियों से नहीं किया गया। शिनाख्तगी का गवाह कहता है कि तीन मूर्तियां विष्णु भगवान की तथा एक शिव पार्वती की थी जबकि एफआईआर में स्वयं परिवादी ने दो मूर्ति कृष्ण भगवान की, एक शिव पार्वती की और एक किसकी थी, यह नहीं बताया। ऐसी स्थिति में गवाह द्वारा सभी मूर्तियों की पहचान किया जाना संभव प्रतीत नहीं होता क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में ही चौथी मूर्ति किस देवी देवता की थी, इसका अंकन नहीं है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि शिनाख्तगी की कार्यवाही में अनुसंधान अधिकारी द्वारा गंभीर कमी रखी गई है। स्वयं गवाह कहता है कि चारों मूर्तियों के अलावा अन्य कोई मूर्ति नहीं मिलाई। ऐसी स्थिति में बरामदगी का तथ्य संदेह के घेरे में है।

जहां तक कि अभियुक्त की इस घटना में भूमिका का संबंध है, अनुसंधान अधिकारी ने साक्ष्य दी है कि अभियुक्त को छबड़ा सब जेल से गिरफ्तार किया था जबकि अन्य गवाहान कहते हैं कि मुलजिमान को घटनास्थल से ही गिरफ्तार किया गया। घटनास्थल एक खुला हुआ स्थान है तथा मुलजिम मूर्तियों के साथ वही मिल गये थे। गवाह पी.ड. 12 गोपीचन्द के अनुसार मौके पर मुलजिमान के पास पांच मूर्तियां रखी हुई मिली थी। जिन्हें चुराई होने के संदेह के आधार पर 102 सीआरपीसी में जप्त किया गया था तथा मुलजिमान को 109 सीआरपीसी में गिरफ्तार किया था। गवाहों के अनुसार मुलजिमान के पास से मूर्तियां बरामद कर उठाई थी परंतु किसी भी गवाह ने यह साक्ष्य नहीं दी है कि किस मुलजिम के पास से कौन सी मूर्ति बरामद की। जो मूर्तियां भडकिया खाल कोटा से बरामद होनी बताई है, वह इस प्रकरण से संबंधित मूर्ति थी या नहीं, इसके संबंध में भी कोई साक्ष्य गवाह देने में अक्षम प्रतीत होती है। मूर्तियों का जप्ती स्थल खुला हुआ स्थान है जिससे यह नहीं कहा जा सकता कि जो मूर्तियां बरामद हुई वह मुलजिम के चैतन्य कब्जे में रखी हुई थी। ना ही फर्द जप्ती में इस तथ्य का अंकन है कि किस अभियुक्त से कौन सी मूर्ति बरामद हुई, जिससे कि यह सिद्ध नहीं होता कि बरामदशुदा मूर्तियां इस प्रकरण से संबंधित थी। ऐसी स्थिति में जबकि अभियुक्त से बरामदगी का तथ्य संदेह से परे सिद्ध नहीं हुआ है तथा यह भी सिद्ध नहीं हो पाया है कि जो मूर्तियां चोरी हुई थी वह इस प्रकरण से संबंधित थी या नहीं। अभियोजन अभियुक्त के अपराध को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः

अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित है।

–::<u>आदेश</u>::–

अतः अभियुक्त बत्तीलाल पुत्र जोहरी लाल उम्र 60 साल निवासी खण्डीप थाना वजीरपुर जिला सवाईमाधोपुर राज0 को अपराध अंतर्गत धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता में पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

अभियुक्त के पूर्व से न्यायालय में उपस्थिति बाबत् लिये गये जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। अभियुक्त ने नियमानुसार धारा 437 ए के जमानत मुचलके पेश किये जो बाद जांच तस्दीक कर शामिल पत्रावली किये गये।

प्रकरण में अभियुक्त भरोसीलाल मफरूर है, जिसके उपस्थित आने पर उसकी हद तक निर्णय होना शेष है। अतः पत्रावली के सरवरक पर इस आशय का नोट लाल स्याही से अंकित किया जावे कि अभियुक्त भरोसीलाल मफरूर है। अतः पत्रावली महफूज रखी जावे तथा उसका कोई भी भाग जाया नहीं किया जावे।

(रचना वैष्णव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
किशनगंज जिला बारां(राज0)

निर्णय आज दिनांक 13.05.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रचना वैष्णव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
किशनगंज जिला बारां(राज0)